देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/bkr/02 E-Newsletter, Issued in Public Interest गुरुवार, 28 नवम्बर

इनकम टेक्स,सेल टेक्स,GST और अन्य प्रकार के राजस्व की चोरी करने वाले चंदा लाल कल्याण मल ग्रुप के 65,सूर्य नगर,गोपालपुरा बाईपास रोड पर चल रहे नियम विरुद्ध लकड़ी के गोदाम की जगह बनेगा एक और अवैध कोचिंग सेंटर

कहानी गोपालपुरा बाईपास रोड की

Exclusive Report

मेन रोड और गोदाम के पीछे के भूखंड संख्या 145,146 पर चल रहे लकड़ी के गोदाम(गोले में)

आवासीय भूखंडों का भू-उपयोग परिवर्तन कर व्यवसायिक करवाया,लेकिन बिना पुनर्गठन कराये,बिना जे.डी.ए. से नक़्शे पास किये, बिना सेटबैक छोड़े बनाया विशालकाय अवैध लकड़ी का गोदाम और फर्नीचर का शोरूम

जानकारों के अनुसार गोपालपुरा बाईपास रोड पर जे.डी.ए. विनियमों को ताक पर रख कर, प्लाट संख्या 65 और उसके आस पास के आवासीय भूखंडों को मिलाकर पर अवैध लकड़ी के गौदाम और फर्नीचर के शोरूम का संचालन किया जा रहा है,जिसका विरोध होने पर आगे के कुछ भूखंडों का भू-उपयोग परिवर्तन करवा कर व्यवसायिक भी करवा लिया गया परन्तु इन भूखंडों का ना तो पुनर्गठननहीं किया गया और ना ही विधिक रूप से जे.डी.ए. से व्यवसायिक निर्माण हेतु नक़्शे पास करवाये गए|सबसे बड़ी बात यह है कि इसका गोदाम का निर्माण बिना एक इंच का सेटबैक छोड़े किया गया है|जिससे इस गोदाम का पूरा प्रोजेक्शन सडक पर है|

सडक के गोदाम के पीछे भूखंड संख्या 145,146 और अन्य आवासीय भूखंडों में भी चल रहे है अवैध गोदाम

चंदालाल कल्याणमल का मेन रोड पर ही नहीं इसी गोदाम के पीछे की तरफ भूखंड संख्या 145,146 और अन्य आवासीय भूखंडों पर भी बिना अनुमति गैरकानूनी रूप से लकड़ी के गोदाम संचालित किये जा रहे है|जिनके अवैध संचालन से भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता|

अब दे दिया ऐलन कोचिंग इंस्टिट्यूट को 27 लाख रूपये किराए पर

बड़ी डील करते हुए,अब इस शोरूम के मालिक द्वारा अपनी इस गोदाम की जमीन को ऐलन कोचिंग इंस्टिट्यूट को किराए पर देने का करार किया है और इसके लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 27 लाख रूपये मासिक में डील की गयी है|जिसे जयपुर के इतिहास में कोचिंग व्यवसाय हेतु अब तक किराए की सबसे बड़ी डील के रूप में देखा जा रहा है|

ऐलन को केवल व्यवसायिक पट्टे से मतलब,बाकी नियम कायदे जाए चाहे भाड़ में|

ऐलन कोचिंग इंस्टिट्यूट के गोपालपुरा बाईपास पर पहले ही तीन कोचिंग सेंटर संचालित है|परन्तु वह बिजनेस एक्सपांशन और बढती प्रतिस्पर्धा के चलते इसी रोड पर 10000 विद्यार्थियों की क्षमता रखने वाले एक और कोचिंग सेंटर खोलने की फिराक में है|अब चूँकि गोपालपुरा बाईपास रोड एक तरीके से कोचिंग सेंटरों का गढ़ बन चुकी है|इसलिए गोपालपुरा रोड पर अस्तित्व बनाये रखने के लिए येन केन प्रकारेण कानून की गलियां तलाशने के लिए व्यवसायिक पट्टे वाली जमीन तलाशी गयी है|परन्तु ऐलन का मेनेजमेंट इस बात पर गौर नहीं कर रहा है कि इस जमीन पर कोचिंग चलाने के लिए जे.डी.ए. से कोचिंग संस्थान हेतु नक़्शे पास करवाने आवश्यक है,नहीं तो इसे भी अवैध माना जाएगा|यदि पैसों और रसुखातों के चलते,रिद्धि सिद्धि चौराहे पर स्थित इस गोदाम की जगह कोचिंग संस्थान खुलता है तो ना केवल पहले से ही व्यस्ततम इस चौराहे पर वाहनों की रेलमपेल मचेगी बल्कि यातायात की भी विकट समस्या उत्पन्न हो जायेगी|ऐसे में एक सवाल और उठता है कि बिना नक़्शे पास कराये इस गोदाम की जगह बनने वाले कोचिंग सेंटर में बच्चों की सुरक्षा हेतु कैसे इंतजाम किये जा सकेंगे और कैसे इस सेंटर की फायर NOC जारी होगी?

शोरूम की 2700 वर्ग गज पर फिर बिना जे.डी.ए. अनुमति बन जाएगा जयपुर का सबसे बड़ा अवैध कोचिंग इंस्टिट्यूट

वर्तमान में यह गोदाम लगभग 2700 वर्ग गज जमीन पर संचालित है यदि इस गोदाम के स्थान पर ऐलन का कोचिंग इंस्टिट्यूट शिफ्ट हो गया तो एक बार फिर जयपुर का सबसे बड़ा अवैध कोचिंग संस्थान खुल जाएगा|जिसमे व्यवस्था कम अव्यवस्था ज्यादा होगी|

हजारों बच्चे,सीमित व्यवस्था,मचेगा रिद्धि सिद्धि चौराहे पर हाहाकार

पार्किंग

अभी ऐलन के दो इंस्टिट्यूट गोपालपुरा बाईपास के दोनों तरफ सूर्य नगर एवं स्कीम 10 पर संचालित है,यह दोनों इंस्टिट्यूट तीन मंजिला बने हुए है,जिसमे करीब 5000 स्टूडेंट्स कई शिफ्टों में पढ़ रहे है,इन दोनों इंस्टिट्यूट के लिए ऐलन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पार्किंग के लिए कई अनुबंध कर रखे है,क्यूंकि इन भूखंडों के आस-पास मुख्य सडक पर कई बड़े और खाली भूखंड मौजूद है,जिसके बावजूद यहाँ पर यातायात बाधित रखता है और शिफ्ट ख़त्म होने पर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है|यदि इसी रोड पर 10000 क्षमता का एक और कोचिंग संस्थान खुलता है तो स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है|जहाँ पर यह गोदाम संचालित है वह जगह पहले ही अति व्यस्त है और इसके पीछे कोलोनियों में सड़कों पर भी अतिक्रमण है|जहाँ पर यह इंस्टिट्यूट शिफ्ट होने से बेतरतीब पार्किंग अपना पैर पसार लेगी|और स्थानीय लोगो का जीना दुर्भर हो जाएगा|

कानून व्यवस्था

इस शोरूम की जगह बनने वाले प्रस्तावित ऐलन इंस्टिट्यूट का एक गेट पीछे की 30 फिट रोड पर, कोलोनी में कहेगा,जिससे भविष्य में विद्यार्थियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहेगा,जिससे अत्यधिक शोरगुल होने,छेड़छाड़ की घटनाओं में इजाफा होगा और जमावड़े से रिद्धि सिद्धि चौराहे पर हाहाकार मच जाएगा|

आम जन की शांति भंग होने का खतरा

प्राय: देखा गया है कि आवासीय कोलोनियों में ऐसे अवैध कोचिंग खुलने से स्थानीय आमजन की शांति में खलल पड़ता है,वाहनों की रेलमपेल,लडाई-झगड़ों,शिफ्ट परिवर्तन के समय लगने वाली भीड़ से आम जन का जीना दूभर हो जाता है|ऐसे कई मामलों में स्थानीय लोगो को न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है तब जाकर उन्हें इन मुसीबतों से छुटकारा मिलता है|जयपुर में भी लाल कोठी क्षेत्र में कुकुरमुत्ते की तरह फ़ैल रहे कोचिंग संस्थानों को उच्च न्यायालय के आदेशों के चलते ही हटना पड़ा था|

खास खबर .com
हर खबर खास खबर

चंदालाल-कल्याणमल के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापा, करोड़ों की गड़बड़ी हुई उजागर

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 28 सितम्बर 2017, 8:16 PM (IST)

जयपुर। राजधानी जयपुर में आयकर विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्लाईवुड कारोबारी के 10 ठिकानों पर छापा मारा। आयकर विभाग ने यह छापा चंदालाल-कल्याणमल ग्रुप के यहां मारा।

खास बात यह है कि विभाग की छापे की यह कार्रवाई चंदालाल-कल्याणमल के दोनों भाईयों के यहां हुई। विभाग की इनवेस्टीगेशन विंग के अधिकारी सबसे पहले चंदालाल कल्याण मल के गोपालपुरा रोड रिद्धि सिद्धी स्थित प्लाईवुड गोदाम और टोंक रोड ग्लास फैक्ट्री स्थित जैन प्लाईवुड टिंबर पहुंचे।

विभाग के अधिकारी चंदालाल के आवास पर भी पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद विभाग के आलाधिकारियों ने तमाम दस्तावेज खंगाला। इस दौरान विभाग को सभी ठिकानों से करोडों की गडबडी और अनियमिताए सामने आई हैं। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है।

आपको बता दें कि चंदालाल कल्याणमल ग्रुप के जयपुर समेत कई जिलों में करीब प्लाईवुड टिंबर, हैंडीक्राफ्ट, हार्डवेयर और होटल है। इससे पहले भी दो बार आयकर विभाग यहां छापा मार चूका है।

सरकार को राजस्व देने में विश्वास नहीं करता है चंदा लाल कल्याण मल ग्रुप,इनकम टेक्स,सेल टेक्स,और GST चोरी के कई मामलों में पड़ चुके है छापे|

देखने में आया है कि चंदा लाल कल्याणमल ग्रुप शुरू से ही सरकार को किसी भी प्रकार से राजस्व देने में कंजूस रहा है|पिछले कुछ सालों में इस ग्रुप पर इनकम टेक्स,सेल टेक्स और GST चोरी के चलते कई छापे पड़ चुके है|जिनमे करोड़ों रुपयों की कर चोरी उजागर हो चुकी है|

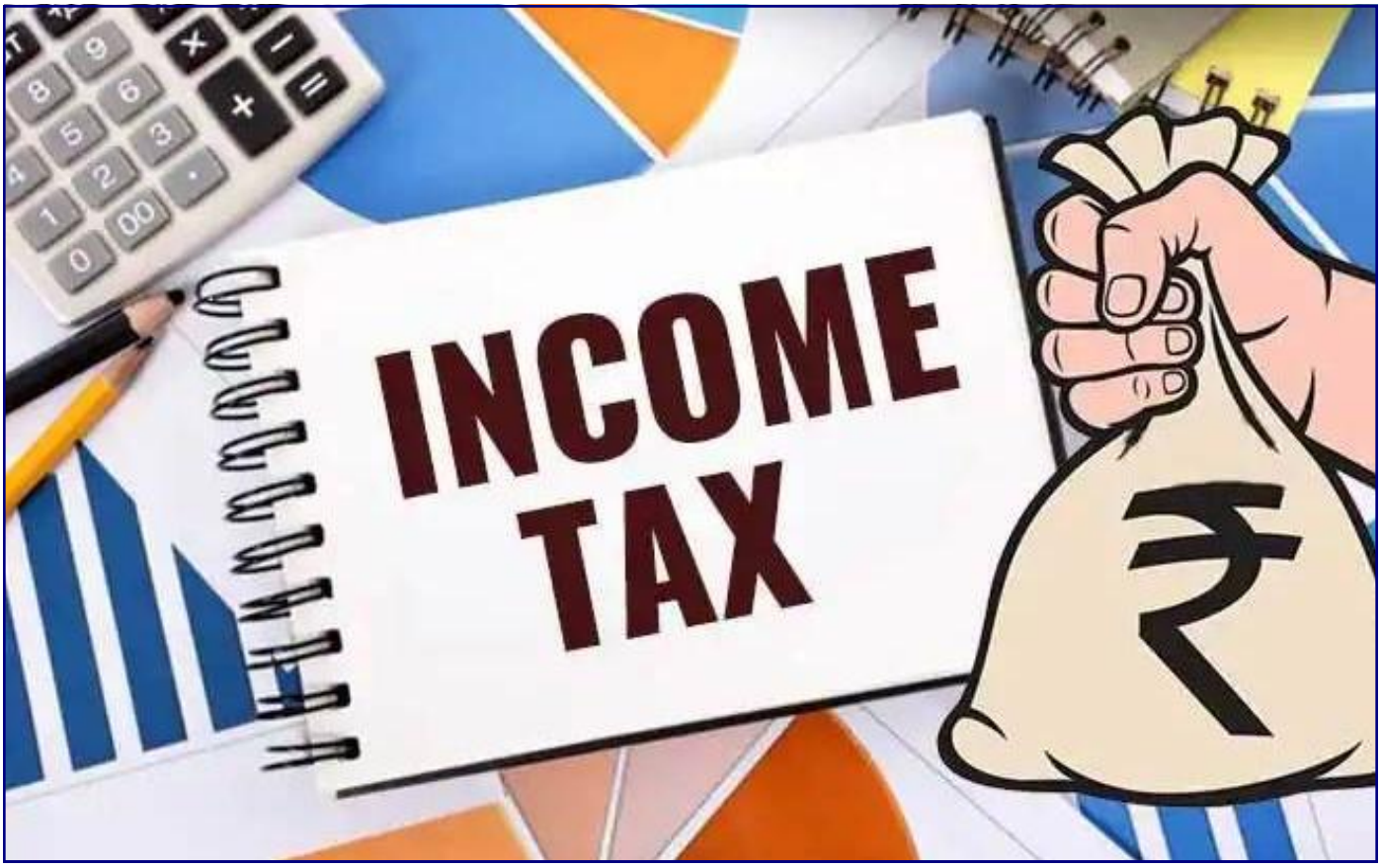

भूखंड संख्या 282-283,डा.राजेन्द्र प्रसाद नगर, पर चल रहा के.महावीर होटल,जिसके मालिक का नाम महावीर जैन है|

जे.डी.ए. के सर्वे और नोटिस के अनुसार इस पर ना तो जे.डी.ए. का पट्टा है और ना ही इसके नक़्शे पास है

किसान धर्म कांटे पर चल रहा के.महावीर होटल भी अवैध

इस ग्रुप का एक होटल**(के. महावीर होटल)** भूखंड संख्या 282-283,डा.राजेन्द्र प्रसाद नगर किसान धर्म कांटे पर संचालित है,वह भी जे.डी.ए. से अप्रूव नहीं है और ना ही उसके नक़्शे पास है|जे.डी.ए. द्वारा करवाये गए सर्वे के अनुसार यह गैर-अनुमोदित योजना में स्थित है और बिना जे.डी.ए. की अनुमति के अवैध बना हुआ है|जिसके चलते इसे जे.डी.ए. एक्ट की धारा 32 के तहत नोटिस भी जारी किया जा चूका है|परन्तु जे.डी.ए. अधिकारियों से सांठ-गाँठ के चलते इसे आज दिन तक सील नही किया गया है|

चैक लिस्ट

जोन नम्बर:- 05 दिनांक- 20/5/19

क.स.	विवरण	रिपोर्ट
1.	भूखण्ड एवं भू-स्वामी का विवरण एवं पता	Mahaveer Jain 282-283, Dr. Rajendra Prasad Nagar
	संचालित गतिविधि के स्वामी का विवरण एवं पता	K Mahaveer Hotel, Mahaveer Jain.
2.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे)	1200 Sq. yd.
3.	भूखण्ड के सामने सडक की चौडाई	160'
4.	भूखण्ड का स्थानीय निकाय से पट्टा/लीजडीड ले रखा है या नही यदि हां तो लीजडीड के अनुसार उपयोग(व्यावसायिक/आवासीय/संस्थानिक/अन्य)	No
5.	GPS लोकेशन एवं फोटो ग्रापस	26.881095, 75.742778
6.	भवन का मौके पर उपयोग	Furniture Shop + Hotel + Roof Top Restaurant (Utsav Restaurant)
7.	भवन मानचित्र स्वीकृत है या नही	NO
8.	विद्यमान सीढियो की चौडाई	1.2 m
9.	मौके पर दो स्टेयर केस एक दूसरे के विपरीत दिशा में है या नही	NO
10.	भवन के प्रवेश द्वार की चौडाई	2.0 m
11.	भवन में प्रवेश व निकास हेतु पृथक से व्यवस्था है या नही	No
12.	भवन की ऊँचाई	B+G+4
13.	सैटबेकः- i सामने	9m
	ii साईड-1	6m
	iii साईड-2	NIL
	iv पीछे	NIL
14	प्रार्थी के पास वैध अग्निशमन प्रमाण पत्र है या नही	No,
15.	अन्य विवरण	

"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जारी प्रमाणित छायाप्रति" तहसीलदार जोन-5 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर"

तहसीलदार जोन-5 | प्रवर्तन अधिकारी जोन-5 | ATP जोन-5 | कनिष्ठ अभियन्ता जोन-5 | कनिष्ठ अभियन्ता (EX.En.) जोन-5

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

बुक नं. 09

क्रमांकः 53

क्रमांकःज.वि.प्रा.अ.शा./82/EO जोन-5

दिनांकः 7-8-19

नोटिस बनाम -

श्री महावीर जैन स्वामी/अभियोगी

पता प्लाट नं. 282,283 डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद नगर, 200 फिट बाइपास, जयपुर

निरीक्षण एवं जाँच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण अनाधिकृत निर्माण [illegible]

आपके उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के 7 दिवस में उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटा दें तथा तत्काल इसकी सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 14-8-19 को 10 AM बजे अपनी आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हों, ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटवा देगा एवं इसका व्यय आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज 7-8-19 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

सुचना के अधिकार के तहत जारी

प्रवर्तन अधिकारी जोन- जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

(अभिलेखशाखा) प्रवर्तन अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Scanned with CamScanner

डा राजेंद्र प्रसाद नगर में बना गोदाम,जो अनअप्रूव तो है ही,साथ में निर्माण भी टिन शेड का है

गोपालपुरा बाईपास से लकड़ी का गोदाम और फर्नीचर का शोरूम शिफ्ट कर रहे गैर अनुमोदित योजना डा. राजेन्द्र प्रसाद नगर में बने अवैध गोदामों में|

कम्पनी द्वारा नए गोदाम के लिए अजमेर रोड को गोपालपुरा बाईपास को जोड़ने वाली लिंक रोड पर स्थित डा.राजेन्द्र प्रसाद नगर के कई आवासीय भूखंडों क्रमशः 19,20,21,22,23,24,25 संख्या के भूखंडों को मिलाकर गोदाम बनाया गया है|इसके साथ ही इस कोलोनी के कई अन्य आवासीय भूखंडों में भी अवैध रूप से लकड़ी के गोदाम संचालित है|

सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह इस गोदाम का माल शिफ्ट किया जा रहा है वह भी अप्रूव नहीं है और आवासीय क्षेत्र में स्थित है|इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस लकड़ी सेठ की नियत ना तो जे.डी.ए. को व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन और नक़्शे अनुमोदित करने से होने वाले राजस्व को देने की है और ना ही इसे आम आदमियों की जान की परवाह है|इन गोदामों में लाखों टन लकड़ी बिना फायर NOC और सुरक्षा मानदंडों के खुले में पड़ी है,यदि भगवान ना करें कि कोई आगजनी हो जाए तो फायर ब्रिगेड को इसे बुझाने में नानी याद आ जाएगी|

200 ट्रक माल शिफ्ट होगा

स्थानीय निवासियों के अनुसार इस गोदाम से माल नयी जगह शिफ्ट होना भी चालू हो गया है,अब तक 50 ट्रक माल जा भी चूका है|इस गोदाम में करोड़ों रूपये का माल है जिसमे बड़ी मात्रा में दो नम्बर का माल है,जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है,जानकारी के अनुसार अभी भी 150 ट्रक माल इस गोदाम में और है,जिसे दिसम्बर तक शिफ्ट कर लिया जाएगा|

दैनिक ट्रिब्यून आपका पसंदीदा अखबार

भिवंडी में लकड़ी के गोदाम में आग, 8 लोग जिंदा जले

Posted On December - 27 - 2014

मुंबई, 27 दिसंबर (एजेंसियां)

महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में लकडी के एक गोदाम में आग लग जाने के कारण आठ प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। आग शुक्रवार देर रात लगी। शुरू में पांच लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई थी, जबकि चार अन्य बुरी तरह झुलस गये जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। इनमें से तीन की बाद में मौत हो गई। ठाणे पुलिस के अनुसार, मनकोली स्थित लकडी के गोदाम में शुक्रवार रात दो बजे आग लग गई थी। दमकल अधिकारी तीन अन्य घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे, जबकि आठ की जान नहीं बचाई जा सकी। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका। मृतकों में उत्तर भारतीय और नेपाली मजदूर शामिल हैं।

भिवंडी मंडी के टिंबर मार्केट में शनिवार को लगी भीषण आग में भारी नुकसान हुआ। -प्रेट्र

आम जन की चेतावनी:

ना तो यह गोदाम रहेगा और ना ही यहाँ कोचिंग सेंटर चलने दिया जाएगा

इस गोदाम के आस पास रहने वाले लोगो का कहना है कि हम लोग पहले से ही इस गोदाम में संभावित हादसों से भयाक्रांत रहते है,यदि इसकी जगह कोचिंग सेंटर खुलता है तो वह और अधिक परेशानी का सबब बनेगा,इसलिए हम लोग ना तो इस गोदाम को चलने देंगे और नाही यहाँ पर ऐलन या किसी भी बड़े ग्रुप के किसी कोचिंग सेंटर को आने देंगे|

मानवीय लापरवाही और नियमों की अनदेखी से शहर के बीचो बीच चल रहे इस लकड़ी के गोदाम में कभी भी हादसा होने की सम्भावना

अग्निशमन विभाग की फौरी कार्यवाही

हो सकता है कि गलत तथ्यों के बूते इस लकड़ी के गोदाम की फायर NOC जारी कर दी गयी हो,परन्तु इस गोदाम में ना तो प्रशिक्षित कर्मचारी है और ना ही आग बुझाने के पर्याप्त साधन|होना तो यह चाहिए कि अग्निशमन विभाग को ऐसे गोदामों का साल में दो बार निरिक्षण करना चाहिए|परन्तु जेबें गरम करने के चलते यह सब फौरी कार्यवाहियों में तब्दील हो जाती है|

गोपालपुरा बाईपास आज जयपुर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों में से एक है|शहर के बीचो-बीच ऐसे लकड़ी के गोदाम वैसे ही खतरे से खाली नहीं है|हमारे शहर में ही नहीं बल्कि देश में भी लकड़ी के गोदामों में लापरवाही और नियमों की पालना नहीं करने से कई मानवीय त्रासदियों का सामना करना पड़ा है|पांच साल पहले भिवंडी के लकड़ी के गोदाम में लगी आग से 8 निरपराध लोग जिन्दा ही काल का ग्रास बन गए थे|इस लकड़ी के गोदाम में भी लाखों टन लकड़ी और फर्नीचर का सामान हर समय रखा रहता है|साथ ही ऐसे केमिकल भी रखे रहते है जो अति ज्वलनशील होते है,साथ ही सैंकड़ों मजदूर भी दिन रात कार्य करते है|ऐसे में एक छोटी से चिंगारी भी इसे लाक्षाग्रह में बदलने के लिए काफी है|

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा,302012 मोबाइल:-9828346151

क्रमांक	सम्बंधित कार्यवाही	जिम्मेदार विभाग एवं कार्य	जिम्मेदार अधिकारी
1	भूखंड संख्या 64,65,65A,65B,66,145,146 सूर्य नगर,गोपालपुरा,पर चल रहे लकड़ी के गोदाम और फर्नीचर के शोरूम पर कार्यवाही हेतु	ज़ोन उपायुक्त जे.डी.ए. ज़ोन-5, भूखंडों के पुनर्गठन,भूखंड के नक़्शे अनुमोदित करने हेतु	श्री रवि विजय
2	64,65,65A,65B,66,145,146 सूर्य नगर,गोपालपुरा,पर चल रहे लकड़ी के गोदाम और फर्नीचर के शोरूम पर कार्यवाही हेतु	प्रवर्तन अधिकारी,जे.डी.ए. ज़ोन-5 बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु	श्री राजीव यदुवंशी
3	भूखंड संख्या 282-283,डा.राजेन्द्र प्रसाद नगर, पर चल रहा के.महावीर होटल,	ज़ोन उपायुक्त जे.डी.ए. ज़ोन-5, भूखंडों के पुनर्गठन,भूखंड के नक़्शे अनुमोदित करने हेतु	श्री रवि विजय
4	भूखंड संख्या 282-283,डा.राजेन्द्र प्रसाद नगर, पर चल रहा के.महावीर होटल,	प्रवर्तन अधिकारी,जे.डी.ए. ज़ोन-5 बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु	श्री राजीव यदुवंशी
5	डा.राजेन्द्र प्रसाद नगर के आवासीय भूखंडों क्रमशः 19,20,21,22,23,24,25 को मिलाकर बनाये गए अवैध गोदाम पर कार्यवाही करने हेतु	ज़ोन उपायुक्त जे.डी.ए. ज़ोन-पी.आर.एन. उत्तर-1,भूखंडों के पुनर्गठन,भूखंड के नक़्शे अनुमोदित करने हेतु	श्री मनीष कुमार
6	डा.राजेन्द्र प्रसाद नगर के आवासीय भूखंडों क्रमशः 19,20,21,22,23,24,25 को मिलाकर बनाये गए अवैध गोदाम पर कार्यवाही करने हेतु	प्रवर्तन अधिकारी,जे.डी.ए. पी.आर.एन. उत्तर-1,बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु	श्री रामावतार यादव
7	उपरोक्त तीनों स्थानों पर फायर NOC की अनिवार्यता और सुरक्षा मानदंडों की कठोरता से पालना हेतु	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,नगर निगम	श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी